प्रेस नोट
दिनांक 17.09.2025

थाना छपिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–320/25, धारा 191(1),191(3),115(2),352,351(3),117(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रमाकांत मिश्रा पुत्र संग्रीव मिश्रा व मु0अ0सं0– 321/25, धारा 191(3),115(2), 352,351(3), 109(1),117(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों– 01. इंद्रमणि मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा, 02. राजमणि मिश्रा पुत्र पारस नाथ मिश्रा को ग्राम सकदरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.09.2025 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सकदपुर में दो पक्षों के मध्य जमीन विवाद को लेकर लाठी–डण्डों से मारपीट की घटना घटित हुई थी। जिसमें दोनो पक्षों के लोगो को गम्भीर चोटे आयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में दोनो पक्षों की लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 17.09.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा प्रथम पक्ष के रमाकान्त मिश्रा व द्वितीय पक्ष से इंद्रमणि मिश्रा व राजमणि मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रमाकांत मिश्रा पुत्र सुग्रीव मिश्रा नि0 सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा
02. इंद्रमणि मिश्रा पुत्र पारस नाथ मिश्रा नि0 सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. राजमणि मिश्रा पुत्र पारस नाथ मिश्रा नि0 सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–320/25, धारा 191(1),191(3),115(2),352,351(3),117(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–321/25, धारा 191(3),115(2),352,351(3),109(1) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा।
02. हेड का0 महेन्द्र प्रसाद पासवान।
03. का0 सुजीत कुमार।
04. का0 अवनीश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.09.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दूसरे की जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रूपयों की ठगी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–61/2025, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राधाकान्त तिवारी उर्फ नेताई पुत्र देवनारायण तिवारी नि0 भगवानदीन पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को खरगूपुर से आर्यनगर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी श्री शत्रुहन लाल तिवारी पुत्र स्व0 राम विलास तिवारी निवासी खरगूपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर सूचना दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा कीमती जमीन को सस्ते कीमत में दिलाने हेतु जमीन दिखाकर एडवांस में रूपये ले लिया गया है। जमीन मालकिन मालती देवी जो मध्य प्रदेश में रहती है के स्थान पर काजल को मालती देवी बनाकर उनका फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक दिखाकर तथा भिन्न–भिन्न तिथियों में कुल 58 लाख रूपये (35 लाख आर0टी0जी0एस0 व 23 लाख कैश) अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया गया। जब दिनांक 01.04.2025 को बैनामा कराने उपनिबन्धन कार्यालय बहराईच गया तो पता चला कि मालती देवी व मालती देवी का परिवार सभी सदस्य फर्जी है । तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0–61/2025, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस बनाम रूस्तम मिश्रा आदि 09 नामजद व 02 अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें पूर्व में थाना खरगूपुर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा 07 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 17.09.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त राधाकान्त तिवारी उर्फ नेताई को खरगूपुर से आर्यनगर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. राधाकान्त तिवारी उर्फ नेताई पुत्र देवनारायण तिवारी नि0 भगवानदीन पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–61/2025, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. व0उ0नि0 पंकज कुमार ।
02. का0 अमन सिंह।
03. का0 सुजीत कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 17.09.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो–01. हर्षित मिश्र पुत्र शिवनाथ मिश्र, 02. उमादत्त पाण्डेय उर्फ टीटू पाण्डेय पुत्र रामअक्षयवर पाण्डेय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर बैट्री, 01 अदद मोबाइल फोन व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल एच0एफ0 डिलक्स बरामद कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0–217/25 धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम पकड़ी (नदावा) में दिनांक 16/17.09.2025 की रात्रि लगभग 1:30 बजे ग्रामीणों ने तत्परता से चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए 02 शातिर चोर पकड़े है। ग्रामवासी रामआशीष पुत्र रामलक्ष्मण मिश्र अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोगों के घर में घुसने की आहट सुनाई दी। जागने पर उन्होंने देखा कि दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर से सोलर बैट्री और मोबाइल फोन चोरी करके भाग रहे हैं। शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुँच गए और ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास से दोनों चोरों को पकड़ लिया। भागने के दौरान अभियुक्त खेत में लगे तार से टकराकर गिर पड़े, जिससे वे और प्रार्थी रामआशीष भी हल्के रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुची पुलिस टीम ने दोनो चोरो को अपने कब्जे में लेकर चोरी का माल बरामद किया गया। थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. हर्षित मिश्र पुत्र शिवनाथ मिश्र, निवासी ग्राम मल्लापुर (तुर्कपुरवा), थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।
02. उमादत्त पाण्डेय उर्फ टीटू पाण्डेय पुत्र रामअक्षयवर पाण्डेय, निवासी ग्राम मल्लापुर (तुर्कपुरवा), थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–217/25 धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. एक अदद सोलर बैट्री।
02. एक अदद मोबाइल फोन
03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल एच0एफ0 डिलक्स।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

प्र0नि0 गोविन्द कुमार थाना कौड़िया मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.09.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–157/25, धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 03 दहेज हत्याभियुक्तों–01. जितेन्द्र गौतम उर्फ लुसडू पुत्र देवीदीन, 02. देवीदीन पुत्र भगौती प्रसाद, 03. मायावती पत्नी देवीदीन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.05.2025 को वादिनी श्रीमती मधु पत्नी रामसनेही निवासी अयोध्या द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री का विवाह 03.02.2025 को धर्मेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बनगांव, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा से हुआ था। विवाह के उपरांत पति धर्मेन्द्र, ससुर देवीदीन, सास व देवर जितेन्द्र द्वारा दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया गया। दिनांक 25.05.2025 को शिवानी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई, जिसके गले व चेहरे पर चोट के निशान थे। प्रार्थिनी का आरोप है कि विपक्षीगणों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या की है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 17.09.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर वांछित चल रहे 03 दहेज हत्याभियुक्तों–01. जितेन्द्र गौतम उर्फ लुसडू पुत्र देवीदीन, 02. देवीदीन पुत्र भगौती प्रसाद, 03. मायावती पत्नी देवीदीन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. जितेन्द्र गौतम उर्फ लुसडू पुत्र देवीदीन नि0 बनगांव बगिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. देवीदीन पुत्र भगौती प्रसाद नि0 बनगांव बगिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. मायावती पत्नी देवीदीन नि0 बनगांव बगिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–157/25, धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उपेन्द्र यादव।
02. म0उ0नि0 कल्पना श्रीवास्तव।
03. का0 वीरेन्द्र प्रताप।
04. म0अ0 गरिमा सिंह।
05. म0अ0 प्रियांशी देवी।

मीडिया सेल, गोण्डा।